क्रम संख्या–179

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 30 नवम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 09, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 342/XXXVI(3)/2016/74(1)/2016

देहरादून, 30 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016"** पर दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 26 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 26, वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सढ़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) का खण्ड (ख) निम्नवत प्रतिस्थापित करते हुए एक नया खण्ड (ख–1) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात :–

"(ख) परम्परागत मदरसा शिक्षा के क्षेत्र के प्रख्यात मुस्लिम शिक्षाविद् या प्रतिष्ठित मुस्लिम समाज सेवी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा, में से एक "कार्यवाहक अध्यक्ष" तथा दो "उपाध्यक्ष" होंगे;

(ख–1) निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा, जो परिषद् का पदेन सदस्य होगा;"

धारा 7 की उपधारा (2) का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात :–

7 (2) अध्यक्ष परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष व कार्यवाहक अध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में आयु में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। उक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कनिष्ठ उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। जब अध्यक्ष/कार्यवाहक अध्यक्ष/उपाध्यक्ष अनुपस्थित हों, तो धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के अधीन निर्वाचित कोई ज्येष्ठतम सदस्य अध्यक्ष होगा और वह बैठक की अध्यक्षता करेगा।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र खुल्वे,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

1— प्रदेश के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में दीनी शिक्षा व आधुनिक विषयों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली मुस्लिम संस्थाओं के पंजीकरण, अधीक्षण एवं निर्देशन सम्बन्धी कार्य हेतु एक शासकीय निकाय की आवश्यकता के दृष्टिगत "उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016" (अधिनियम संख्या—06, वर्ष 2016) प्रख्यापित किया गया है।

2— मूल अधिनियम की धारा—3 के अन्तर्गत निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् पदेन उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान में परिषद् में परम्परागत मदरसा शिक्षा के क्षेत्र के प्रख्यात मुस्लिम शिक्षाविदों या प्रतिष्ठित मुस्लिम समाजसेवा क्षेत्र के व्यक्तियों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले एक कार्यवाहक अध्यक्ष तथा दो उपाध्यक्ष के पद सृजित किये जाने हेतु मूल अधिनियम की धारा 3 (3) (ख) तथा धारा 7 (2) को संशोधित किये जाने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016" लाया जाना प्रस्तावित है।

3— विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

हरीश रावत
मुख्यमंत्री।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 30 विधायी/585—2016—100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।